

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

श्रीम प्रकाश

बनाम

राजस्थान सरकार

दावा बाबत राजस्व रिपोर्ट इन्स्टी बाबत अन्तर्गत धारा 88 RTI

मुकदमा नम्बर :- 14/2022

निर्णय दिनांक :- 30-05-22

वादी की ओर से 30-05-22 की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30-05-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर श्रम धरिसर चारणान खाता सं 123 अं. नं. 140 व खाता सं 61 अं. नं. 6, 8 को जमाबंदी में अंकित नाम श्रीम प्रकाश पुत्र करणीदान के स्थान पर श्रीम प्रकाश पुत्र करणीदान किम जूने की घोषणा की जाती है। तदुल्लेखित धारा 88 RTI में अमल करामद् को वादी के खिलाफ किाही प्रकार के आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दिशा में पूर्व नग्न माध्य होगा

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30-05-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़



1004
श. व. - 31/06/22